निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 286/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गणपत लाल पुत्र श्री जोधा मीणा निवासी जोधा मीणा की ढाणी, ग्राम खेडी मिल्क, तहसील किशनगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयन्त चौधरी पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक, जिला जयपुर ।
2. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाति यादव निवासी ग्राम खेडी मिल्क, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2021 ब उनवानी रामनिवास बनाम गणपत व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री कालूराम नायक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है ।

निर्णय दिनांक 09.01.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष प्रकरण संख्या 50/2021 ब उनवानी रामनिवास बनाम गणपत व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया कि अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 102 वाके ग्राम खेडी मिल्क तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है जिसका प्रार्थी व अन्य खातेदारों ने मिलीभगत कर विधिवत तकासमा करवाया, जिसके पूर्व में रामजीपुरा से खेडीमिल्क जाने

जिला कलक्टर
जयपुर

वाली सड़क खसरा नम्बर 80 स्थित है। जिसे अप्रार्थी संख्या 2 अपनी भूमि खसरा नम्बर 102/1 में आवागमन करता है तथा वर्तमान में भी आ जा रहा है, जिसके दोनों तरफ तारबन्दी है। जिस कारण प्रार्थी को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने खसरा नम्बर 102/1 की खातेदारी भूमि का बेचान अन्य व्यक्ति के हक में कर दिया तथा उसी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज रहा है। यदि अप्रार्थी 2 खसरा नम्बर 102/1 का स्वामित्व व अधिकार नहीं रखता तो उसे रास्ते की क्या आवश्यकता है ? जिस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा प्रार्थी ने पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्व हस्तान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को पिछली पेशी दिनांक 18.11.2022 को न्यायालय परिसर में धमकी दी कि हमारी एस डी एम साहब से बात हो चुकी है । जिस पर एस डी एम साहब दावे में आगामी तारीख पेशी नियत कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण हमारे पक्ष में कर देंगें । अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 2 ने पुनः प्रार्थी को धमकी दी है कि अब जल्दी एस डी एम साहब हमारा प्रार्थना पत्र शीघ्र ही हमारे पक्ष मे निर्णित कर देंगें, हमारी उनसे बात हो चुकी है । इस पर प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्य चकित हो गया कि ये केसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने एवं प्रार्थी को परेशान करने के उद्वेश्य से बड़ी बड़ी तारीख पेशी लेने की कोशीश में रहता है । मुन्तकिल प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी संख्या 2 को असहाय क्षति हो रही है तथा मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित किया जा रहा है। अप्रार्थी अपने कानूनी हक व अधिकारों से महरूम हो रहा है प्रार्थी वर्तमान में पूर्णत मकान में बन्द हो रहा है। सभी आवश्यक कार्य रास्ता बन्द होने से रूके हुए है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में

जिला कलक्टर
जयपुर

ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर